



भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर बैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता - नियम

1. यह प्रतियोगिता सरकारी क्षेत्र के बैंकों (उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), सरकारी वित्तीय संस्थाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए है। इसमें राजभाषा अधिकारी/अनुवादक भाग नहीं ले सकते हैं।
2. निबंध के लिए शब्दों की सीमा लगभग 3000 से 4000 तक रखी गई है। शब्दों की सीमा का कड़ाई से पालन किया जाएगा और उक्त सीमा का उल्लंघन करने वाले सहभागी को निबंध प्रतियोगिता के लिए अपात्र माना जाएगा।
3. निबंध हिंदी में क्वार्टो साइज (ए4) कागज पर एक ओर टाइप किया हुआ होना चाहिए। हाथ से लिखे हुए निबंध भी स्वीकार किए जाएंगे, बशर्ते वे साफ-साफ लिखे गए हों और आसानी से पढ़े जा सकते हों।
4. प्रतियोगिता मातृभाषा के अनुसार (i) हिंदी भाषियों (ii) मराठी, पंजाबी और गुजराती भाषियों तथा (iii) उक्त (i) एवं (ii) को छोड़कर अन्य गैर हिंदी भाषा-भाषियों के लिए अलग-अलग आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी दिए गए तीन विषयों में से अपनी पसंद के किसी एक विषय पर निबंध भेज सकते हैं। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
5. कृपया नोट करें कि केवल हिंदी में लिखे गये निबंध ही स्वीकार किये जाएंगे।
6. प्रथम पुरस्कार की राशि 11,000/- रुपए, द्वितीय पुरस्कार की राशि 7000/- रुपए तथा तृतीय पुरस्कार की राशि 5000/- रुपए है।
7. प्रतियोगिता के परिणाम की सूचना बैंकों के प्रधान कार्यालयों को ही दी जाएगी और वे ही अपने समस्त स्टाफ-सदस्यों को परिणामों से अवगत कराएंगे। केवल विजेताओं को ही व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा।
8. प्रत्येक सहभागी को संलग्न फार्म के अनुसार अपने संबंधित बैंक के माध्यम से अपनी मातृभाषा सूचित करते हुए यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उनका निबंध मौलिक है तथा उन्होंने उसे अन्यत्र पुरस्कार या प्रकाशन के लिए नहीं भेजा है।
9. प्रतियोगी द्वारा निबंध पर कहीं नाम, पता आदि नहीं लिखा होना चाहिए अन्यथा प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी।
10. निबंध में कोटेशन आदि देते समय स्रोत का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
11. तीन वर्ष तक लगातार पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को चौथे वर्ष पुरस्कार न देकर एक श्रेष्ठता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। पांचवे वर्ष से वह प्रतियोगिता में सामान्य रूप से पुरस्कार पाने का पात्र होगा।
12. प्रतियोगिता के संबंध में रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम और सहभागियों के लिए बाध्यकारी होगा।
13. निबंध भेजने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2016 (बुधवार) है।
14. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी अपने निबंध संबंधित शाखा/विभाग के मुख्य अधिकारी के प्रमाणन के साथ सीधे ही निम्नलिखित पते पर भेजें :
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
सी 9, दूसरी मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल
बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051
15. प्रतियोगिता के विजेताओं को रिज़र्व बैंक के वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा तथा समारोह में शामिल होने वाले विजेताओं को संबंधित बैंक 'ड्यूटी पर' मानेगा।
16. पुरस्कृत निबंधों पर भारतीय रिज़र्व बैंक का सर्वाधिकार होगा। पुरस्कार विजेता निबंध को अन्यत्र नहीं छपवाएगा।